

[(भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29th मार्च, 2016

सा.का.नि.317 (अ)- भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं. सा.आ.908(अ) के अधीन प्रकाशित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2000 में देश में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक विनियामक ढांचे का प्रावधान किया गया है;

इन नियमों को अधिक प्रभावकारी ढंग से लागू करने और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ पद्धति के द्वारा ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण, शोधन और निपटान में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्तमान नियमों की समीक्षा की थी, नियमों का एक ढांचा तैयार करना आवश्यक समझा गया था जिसमें अपशिष्ट उत्पादकों और विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जवाबदेही पर बल दिया जाए, स्रोत पर पृथक्करण, पुनः प्राप्ति, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण पर जोर दिया जाए और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन का विस्तारपूर्वक समाधान किया जाए।

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 3 जून, 2015 के सा.का.नि.451(अ) के तहत निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट संबंधी एक अलग अध्याय के साथ मसौदा नियम अर्थात् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 प्रकाशित किए गए थे जिनमें उक्त अधिसूचना के जारी होने की तारीख से साठ दिन के अंदर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों या टिप्पणियों पर केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया था;

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 25 का प्रयोग करते हुए और अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने के सिवाय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रहस्तन नियम, 2000 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित नियम अधिसूचित करती है -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 कहा जाएगा

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.-** ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यष्टि या संगठन या प्राधिकरण के अपशिष्ट पर लागू होंगे जो किसी सिविल ढांचे के निर्माण, पुनः प्रतिरूपण, मरम्मत और विध्वंस के फलस्वरूप बिल्डिंग मेटिरियल, मलबा और रोड़ी वाले अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।

3. **परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 26) अभिप्रेत है;

(ख) "संनिर्माण" से भवन या निर्मित सुविधा या अन्य संरचना या अवसंरचना के निर्माण, जिसमें इन तत्वों में परिवर्तन भी शामिल है, के परिनिर्माण की प्रक्रिया अभिप्रेत है,;

(ग) "संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट" से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसमें भवन सामग्रियां, मलबा और रोड़ी जो संनिर्माण, पुनःप्रतिरूपण, मरम्मत तथा किसी सिविल संरचना के ध्वंस से उद्भूत होता हो;

(घ) "विसंरचना" से ऐसा नियोजित चयनात्मक विध्वंस अभिप्रेत है जिसमें विध्वंसित संरचना का उद्धारण, पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण अधिकतम किया जाता है;

(ङ.) "विध्वंस" से भवनों और अन्य संरचनाओं को या तो हाथ से या यांत्रिकी बल (विभिन्न उपस्करों) का उपयोग करके या विस्फोटकों का उपयोग करके अंतः विस्फोट द्वारा तोड़ा जाना या गिराया जाना अभिप्रेत है।

(च) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "स्थानीय प्राधिकरण" से विभिन्न नाम पद्धतियों के शहरी स्थानीय प्राधिकरण अभिप्रेत हैं जैसे कि नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, इनमें अधिसूचित क्षेत्र समिति हैं और जो ग्राम पंचायत जैसे सुसंगत कानूनों के अधीन गठित अन्य स्थानीय प्राधिकरण या इनके अतिरिक्त भी शामिल हैं, जहां ऐसे अभिकरण को संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन सौंपा जाता है;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा प्रदाता" से ऐसा प्राधिकरण अभिप्रेत है जो जल, मल व्यवस्था, बिजली, टेलीफोन, सड़कें, जल निकास आदि जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं और अपने कार्यकलापों के दौरान प्रायः

संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, जिसमें खुदाई, विध्वंस और सविल कार्य सम्मिलित हैं;

(ज) "अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता" से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या संस्था, आवासीय और वाणिज्यिक स्थापनाएं अभिप्रेत हैं और इनमें भारतीय रेल, विमानपत्तन, बंदरगाह एवं पत्तन तथा रक्षा स्थापनाएं शामिल हैं जो किसी सिविल संरचना का संनिर्माण और विध्वंस करते हैं और संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों के जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके इस अधिनियम में हैं।

4. अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता के कर्तव्य-

(1) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता प्रथम-दृष्टया इन नियमों के अनुरूप संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निदेशित या अधिसूचित कंक्रीट, मिट्टी और अन्य सामग्रियों के संग्रहण, पृथक्करण और उत्पन्न हुए संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के भंडारण के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उत्पन्नकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य अपशिष्ट (जैसे कि ठोस अपशिष्ट) इस अपशिष्ट के साथ मिश्रित न हो सके और उसका पृथक भंडारण और निपटान किया जाए।

(3) एक दिन में 20 टन या इससे अधिक या एक माह में प्रति परियोजना 300 टन अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता अपशिष्ट को चार भागों जैसे कंक्रीट, मिट्टी, इस्पात, काष्ठ तथा प्लास्टिक, ईट और मोर्टार में पृथक करेगा और निर्माण या विध्वंस या रिमोडेलिंग कार्य करने से पूर्व अपशिष्ट प्रबंधन योजना प्रस्तुत करेगा तथा स्थानीय प्राधिकरण से समुचित अनुमोदन प्राप्त करेगा और संबंधित प्राधिकरणों को योजना अवस्था से लेकर कार्यान्वयन अवस्था तक कार्यकलापों की सूचना देगा और ऐसा परियोजना दर परियोजना किया जाएगा।

(4) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादनकर्ता संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को परिसर के भीतर रखेगा या अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित संग्रहण केन्द्र पर निक्षेपित करेगा या संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की प्रसंस्करण सुविधा के लिए प्राधिकृत केन्द्र को सौंप देगा; और यह सुनिश्चित करेगा कि संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, का कोई निक्षेप या ऐसे नहीं डाला जाए कि वह यातायात या जनता या नालों को बाधित न करे।

(5) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित सुसंगत प्रभार का भुगतान करेगा; एक दिन में 20 टन से अधिक या एक माह में प्रति परियोजना 300 टन अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता

संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए संदाय करेगा, इसके अतिरिक्त भंडारण, संग्रहण और परिवहन के लिए संदाय करेगा। संदाय की दर का निर्धारण संबंधित स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(5) सेवा प्रदाता और उनके संविदाकारों के कर्तव्य -

(1) सेवा प्रदाता इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से छह माह के अंदर एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंध योजना तैयार करेगा जिसमें पृथक्करण भंडारण, संग्रहण, पुनः प्रयोग, पुनः चक्र, परिवहन और उनके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का निपटान सम्मिलित होगा।

(2) सेवा प्रदाता सभी संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को हटायेंगे और यदि संभव हो तो प्रत्येक दिन क्षेत्र को साफ करेंगे या कार्य की अवधि पर निर्भर रहते हुए, अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और प्रकार, समुचित भंडारण तथा संचयन पर निर्भर रहते हुए, संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय के परामर्श से समुचित भंडारण और संग्रहण की एक युक्तियुक्त समय अवधि तैयार की जाएगी।

(3) ऐसा दशा में जब ऐसा सेवा प्रदाता उप नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए संभार-तंत्र नहीं रखते हैं, तब वे किसी प्राधिकृत अभिकरण के साथ संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को हटाने के लिए संपर्क करेंगे और उसे स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित युक्तियुक्त प्रभार का संदाय करेंगे।

(6) स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य - स्थानीय प्राधिकरण, -

(1) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के उचित प्रबंध के संबंध में विस्तृत निदेश जारी करेगा और स्थानीय प्राधिकरण संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ता से विस्तृत योजना और यथा लागू वचनबद्धता की मांग करेगा;

(2) समग्र कार्यकलाप में अन्तर्वलित चरणों, पद्धति तथा उपस्करों, सामग्री और संनिर्माण तथा विध्वंस के पूर्ण होने के पश्चात अंतिम सफाई की रूपरेखा तैयार करेगा;

(3) औद्योगिक परिसंकटमय या विषैले पदार्थ या नाभिकीय अपशिष्ट से संदूषित संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए संबंधित प्राधिकरणों से सहायता की मांग करेगा;

(4) अपशिष्ट के संग्रहण की व्यवस्था करेगा और इसके लिए उचित आधान रखेगा और नियमित अंतराल पर या उनके भर जाने पर या तो अपने संसाधनों के माध्यम से या निजी प्रचालकों की नियुक्ति करके हटाया जाएगा;

- (5) एक संग्रहीत अपशिष्ट को अपने संसाधनों के माध्यम से या निजी प्रचालकों की नियुक्ति करके प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए समुचित स्थलों तक भेजेगा;
- (6) उद्धारण, प्रसंस्करण और अथवा अधिमानतः स्वस्थाने पुनर्चक्रण के लिए उत्पन्नकर्ता को समुचित प्रोत्साहन देगा;
- (7) इसके प्रस्तुत किए जाने की तारीख अथवा भवन योजना के अनुमोदन की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर, जो भी पहले हो, उत्पन्नकर्ता के अपशिष्ट प्रबंध योजना का परीक्षण करेगा और उसकी मंजूरी देगा;
- (8) अपने क्षेत्राधिकार के अंदर संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादन की जानकारी रखेगा और एक डाटाबेस स्थापित करेगा तथा वर्ष में एक बार इसे अद्यतन करेगा;
- (9) विशेषज्ञ संस्थाओं के परामर्श करने, उत्पादित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट जिसके अंतर्गत प्रसंस्करण सुविधा और सर्वोत्तम संभावित रीति से पुनःचक्रित पदार्थों के प्रयोग के लिए योजना बनाना भी है, के समुचित प्रबंध की योजना बनाएगा;
- (10) विशेषज्ञ संस्थाओं और सिविल सोसाइटियों के साथ सहयोग के जरिए संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सूचना, शिक्षा एवं संचार की दीर्घकालिक प्रणाली सृजित करेगा तथा साथ ही अपने निजी वेबसाइट के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करेगा;
- (11) गैर अवसंरचनात्मक कंक्रीट, ब्लॉकों, सड़क के पेवमेंट के निचले संस्तरों, कॉलोनी और ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित संनिर्माण कार्यकलाप में संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट से बनी सामग्री के प्रयोग हेतु प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान बनाएगा।

7. संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के लिए भंडारण, प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण सुविधाएं और संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट एवं इसके उत्पाद के अनुप्रयोग के मानदंड-

- (1) संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के लिए भंडारण तथा प्रसंस्करण सुविधाओं हेतु स्थल का चयन **अनुसूची I** में दिए गए मानदंड के अनुसार किया जाएगा;
- (2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राधिकार के लिए उप-नियम (1) में यथा निर्दिष्ट सुविधा का प्रचालक **प्ररूप I** में आवेदन करेगा।
- (3) सुविधा का प्रचालक **प्ररूप II** में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (4) सैनीटरी लैंडफिल के प्रचालन में संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट से निर्मित सामग्रियों का अनुप्रयोग **अनुसूची II** में दिए गए मानदंड के अनुसार होगा।

8. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के कर्तव्य -

(1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, संबंधित स्थानीय निकायों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इन नियमों के क्रियान्वयन को मॉनीटर करेंगे और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा परिलक्षित राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण को राज्य स्तरीय व्यापक डाटा उत्पन्न करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट भेजी जाएगी, ऐसी रिपोर्ट में टीका-टिप्पणी और राय भी अन्तर्विष्ट होगी जो कोई टीका-टिप्पणी या परिवर्तन से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के अपेक्षित हो;

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति प्ररूप I में प्राप्त आवेदन पत्र की जांच करने के पश्चात इन नियमों के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट प्ररूप III में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की प्रसंस्करण सुविधा का प्राधिकार प्रदान करेगी;

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति प्ररूप IV में वार्षिक रिपोर्ट को इन नियमों के अनुपालन की स्थिति पर विशेष बल देते हुए तैयार करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 जुलाई के पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट अग्रेषित करेगी।

9. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्तव्य-

(1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विकास का प्रभारी सचिव इन नियमों की अंतिम अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के अनुरूप संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंध की बाबत नीति दस्तावेज तैयार करेगा।

(2) राज्य सरकार का संबंधित विभाग भूमि से संबंधित विभाग संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) शहरी तथा ग्रामीण आयोजना विभाग अनुमोदित भूमि प्रयोग योजना में स्थल को शामिल करेगा ताकि दीर्घावधिक आधार पर प्रसंस्करण सुविधा में कोई हस्तक्षेप न हो।

(4) नगरीय तथा सरकारी संविदाओं में संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट से निर्मित सामग्रियों की अधिप्राप्ति को सख्त गुधवता नियंत्रण के अध्यक्षीन कुछ प्रतिशत तक (10-20%) अनिवार्य बनाया जाएगा।

(10) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्तव्य- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,-

(क) संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रबंधन से संबंधित प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश तैयार करना;

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राप्त आंकड़ें विश्लेषित और एकत्रित करना जिसे नियत समय पर संशोधित किया जा सके;

(ग) पर्यावरण मानकों के विकास से संबंधित किन्हीं मामलों के लिए सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ समन्वय करना;

(घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 अगस्त से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों अथवा प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा दी गई रिपोर्टों के आधार पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करना।

(11) भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय रोड कांग्रेस के कर्तव्य- भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय रोड कांग्रेस व्यवहार का कोड तैयार करने और संनिर्माण क्रियाकलापों के संबंध में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के पुनःचक्रित सामग्रियों और उत्पादों के प्रयोग के लिए व्यवहारों का कोड और मानकों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे और भारतीय रोड कांग्रेस की भूमिका सड़कों के निर्माण संबंधी मानकों तथा व्यवहारों के विशिष्ट होगी।

(12) केन्द्रीय सरकार के कर्तव्य-

(1) शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय इन नियमों के अनुपालन में स्थानीय निकायों को सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे;

(2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन नियमों के क्रियान्वयन जैसे और जब अपेक्षित हो, की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

13. इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु समय सीमा- इन नियमों के कार्यान्वयन हेतु कालक्रम **अनुसूची III** में यथा निर्दिष्ट होगा :

14. संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं द्वारा दुर्घटना की रिपोर्ट देना- जब किसी संनिर्माण एवं विध्वंस प्रसंस्करण या शोधन या निपटान सुविधा पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो स्थानीय प्राधिकरण में सुविधा का प्रभारी अधिकारी या सुविधा का प्रचालक, जैसा लागू हो, तत्काल **प्ररूप V** में दुर्घटना की सूचना, स्थानीय प्राधिकरण को देगा। स्थानीय निकाय द्वारा समीक्षा की जाएगी और सुविधा के प्रभारी को अनुदेश, यदि कोई हो, जारी किया जाएगा।

अनुसूची I

संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के लिए भंडारण या प्रसंस्करण या पुनःचक्रण सुविधाओं के चयन हेतु मानदंड

[नियम 7(1) देखें]

- (1) राज्य सरकार में भूमि से संबंधित विभाग संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के लिए भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगा और विकास, प्रचालन तथा रख-रखाव के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को सौंपेगा जिसे अंततः सक्षम प्राधिकारी द्वारा संचालक को सौंपा जाएगा तथा जहां कहीं भी उपर्युक्त अधिकारी उपलब्ध न हो, तो यह संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के पास रहेगी।
- (2) स्थानीय प्राधिकरण प्रचालकों को आवश्यक अनुमोदन और स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए स्थानीय संबंधित संगठनों के (राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के शहरी विकास विभाग के परामर्श से) साथ समन्वय करेगा।
- (3) इस नियम की अनुसूची I में यथा उल्लिखित शहर या क्षेत्र के नगरीय ठोस अपशिष्ट के लिए, स्वच्छता भूमि भरण में संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट का प्रयोग किया जाएगा। संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण उद्योगों से प्राप्त अवशेषों को नगरीय ठोस अपशिष्ट हेतु स्वच्छता भूमि भरण में भूमि भरित किया जाएगा।
- (4) प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण 20-25 वर्षों (स्थल पुनःचक्रण सुविधाओं पर आधारित परियोजना) की लंबी अवधि तक चलेगा।
- (5) प्रसंस्करण या पुनःचक्रण स्थल निवास स्थान समूहों, वन क्षेत्रों, जल निकायों, स्मारकों, राष्ट्रीय उद्यानों, नमभूमियों और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अथवा धार्मिक महत्व के स्थलों से दूर होगा।
- (6) पांच टन प्रतिदिन से अधिक संस्थापित क्षमता की प्रसंस्करण तथा निस्तारण सुविधा के आस-पास एक बफर 'जोन ऑफ नो डेवलपमेंट' इसका रख-रखाव ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण सुविधा के कुल क्षेत्र के अंदर किया जाएगा। बफर जोन का निर्धारण स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा।

(7) प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण स्थल क चारों ओर चारदीवारी या घेरा होगा ओर आने वाले वाहनों या परिवहन के अन्य साधनों की मॉनीटरी करने के लिए उपयुक्त दरवाजा उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) पहुंच मार्ग और या आंतरिक सड़कें कंक्रीट की होंगी या ऐसी बनाई जाएंगी कि वाहनों की आवाजाही के कारण धूल कण पैदा होने से बचा जासके और इस प्रकार डिजाइन की जाएंगी ताकि वाहनों और अन्य मशीनरी की मुक्त संचलन हो सके।

(9) अपशिष्ट की मात्रा के मापन हेतु धर्मकांटा जैसी व्यवस्थाएं, अग्नि सुरक्षा उपकरण और अन्य सुविधाएं, जो भी अपेक्षित हों, उपलब्ध कराई जाएंगी।

(10) रात के समय सुगम लैंडफिल प्रचालनों के लिए पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाएं (वरीयतः कार्मिकों के लिए धोने/नहाने की सुविधाएं) तथा रोशनी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और लैंडफिल स्थलों पर स्वास्थ्य जांच सहित सुरक्षा के प्रावधान किए जाएंगे।

(11) प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण प्रचालनों से उत्पन्न प्रदूषण की समस्याओं को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए जाएं अर्थात :

(क) सतही जल की स्थिरता को रोकने के लिए तूफान जल नालियों की व्यवस्था करना;

(ख) स्थल पर धूल और क्षति कम करने के लिए प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण सुविधा में चुनिंदा क्षेत्रों में खडंजा या कंक्रीट की सतह की व्यवस्था करना;

(ग) प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण संयंत्र से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण का निवारण;

(घ) पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुसार-संगत मानकों के अनुसार बहिस्राव, यदि कोई हो, के शोधन हेतु प्रावधान।

(12) प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण स्थल पर कार्य क्षेत्र वायु गुणवत्ता और उसके परिवेश में परिवेशी वायु गुणवत्ता की मॉनीटरी की जाएगी।

(13) सुविधा के आंतरिक भाग सहित आस-पास के क्षेत्र अर्थात संयंत्र की चारदीवारी के पास परिवेशी ध्वनि का मापन किया जाएगा।

(14) निम्नलिखित परियोजनाओं को धूल और ध्वनि से उत्पन्न उपर्युक्त प्रदूषण के लिए मानकों में छूट प्राप्त होगी :

जहां स्थल पर उत्पन्न होने वाले निर्माण और मलबा अपशिष्ट के न्यूनतम 80% को उसी स्थल पर पुनर्चक्रित या पुनःप्रयोग किया जाता हो और आस-पास के पर्यावास को किसी दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त बफर क्षेत्र उपलब्ध है।

(15) बफर जोन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण संयंत्र या स्थल के चारों ओर एक वानस्पतिक चारदीवारी बनाई जाए।

अनुसूची II

संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट और इसके उत्पादों से बनी सामग्रियों का अनुप्रयोग

[नियम 7(3) देखें]

क्र.सं.	मापदंड	अनुपालन मानदंड
1.	<p>स्वच्छता भूमि भरण के तल में निक्षालक एकत्रण प्रणाली में जल निकास परत और स्वच्छता भूमि भरण के शीर्ष पर अपशिष्ट के ऊपर गैस एकत्रण परत और</p> <p>स्वच्छता भूमि भरण की गैस एकत्रण परत के ऊपर शीर्ष कवर प्रणाली में जल निकास परत</p> <p>स्वच्छता भूमि भरण या कचरा स्थल को ढकने हेतु शीर्ष पर जल निकास परत</p>	<p>मोटी रेत के आकार की श्रेणीकृत (2 मिमी-4.75 मिमी मानक छन्नी आकार) वाली केवल कुचली हुई और श्रेणीकृत सख्त सामग्री (पत्थर, बजरी आदि) का ही प्रयोग किया जाएगा।</p> <p>चूंकि मोटी रेत के कण, कोणीय आकार के होंगे (और नदी तल की रेत की तरह गोल नहीं), इसलिए समीपवर्ती परतों या घटकों में छेद होने से रोकने के लिए, जहां भी आवश्यकता हो, बिना बुने भू-वस्त्रों की सुरक्षा बनाई जानी चाहिए।</p>
2.	<p>प्रतिदिन ढकना</p>	<p>2 मिमी तक आकार वाले संनिर्माण तथा विध्वंस प्रसंस्करण किए गए अपशिष्ट का उपयोग ताजे अपशिष्ट को प्रतिदिन ढकने के लिए किया जाएगा।</p> <p>जहां ऐसी सामग्री उपलब्ध है वहां भूमि भरण स्थल को ढकने के लिए निर्माण और मलबा का उपयोग करना अनिवार्य होगा। ऐसे स्थानों के लिए ताजी मृदा (स्वीट अर्थ) का प्रयोग नहीं किया जाएगा और यहां गड्ढे करने की अनुमति नहीं होगी। अपवाद - उसी भूमि भरण स्थल के निर्माण के दौरान मृदा उत्खनन।</p> <p>गर्मी के महीनों में लू वाले दिनों के दौरान अल्पकालिक धूल से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जहां भी उपलब्ध हों, स्थानीय मृदा को मिश्रित करके सीमित अवधि के लिए इन समस्याओं को कम किया जा सकता है।</p>

3.	स्वच्छता भूमि भरण में सिविल निर्माण	गैर-ढांचागत अनुप्रयोगों अर्थात फुटपाथ पत्थर, नालियों को ढंकना, पैदल यात्री क्षेत्रों में खडंजा खंड आदि।
----	-------------------------------------	---

अनुसूची III

**आयोजना और कार्यान्वयन हेतु समय सीमा
[नियम 13 देखें]**

क्र.सं.	अनुपालन मानदंड	01 मिलियन और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर	0.5-01 मिलियन जनसंख्या वाले शहर	0.5 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर
1.	राज्य सरकार द्वारा नीति निर्माण	12 महीने	12 महीने	12 महीने
2.	एकत्रण और प्रसंस्करण सुविधा हेतु स्थलों की पहचान करना	18 महीने	18 महीने	18 महीने
3.	सुविधा को शुरू करना और उसका कार्यान्वयन करना	18 महीने	24 महीने	36 महीने
4.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा मॉनीटरी	वर्ष में 3 बार - 4 माह में एक बार	वर्ष में 2 बार - 6 माह में एक बार	वर्ष में 2 बार - 6 माह में एक बार

*समय अनुसूची, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी।

प्ररूप I

देखें [नियम 7(2)]

प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

सदस्य सचिव,

_____ नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा नियुक्त स्थानीय प्राधिकारी अथवा एजेंसी का नाम :

पत्राचार का पता दूरभाष संख्या फैक्स संख्या	
नोडल अधिकारी एवं पदनाम (प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण अथवा निपटान सुविधा का प्रचालन करने के लिए उत्तरदायी सक्षम प्राधिकारी या एजेंसी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी)	
किस काम के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन किया गया है (कृपया सही का निशान लगाएं)	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण की सुविधा स्थापित करना
निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विनिर्माण और विध्वंस प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण सुविधा का विस्तृत प्रस्ताव	
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और आवंटित स्थल की अवस्थिति।	
विशिष्ट स्थल पर प्रहस्तित किए जाने वाले संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की औसत मात्रा (टन प्रति दिन में) और संघटन।	
प्रयोग में लाई जाने वाली संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी का ब्यौरा।	
प्रतिदिन प्रसंस्करण किए जाने वाले निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा।	

निर्धारित प्राधिकारी से स्थल स्वीकृति।	
सक्षम प्राधिकरण या स्थानीय निकाय तथा प्रचालनकर्ता अभिकरण के बीच करार की प्रमुख विशेषताएं (संगत दस्तावेज संलग्न करें)।	
पुनर्चक्रित उत्पाद के उपयोग हेतु योजना।	
प्रसंस्करण हेतु बेकार अवशिष्टों की अनुमानित प्रमात्रा तथा इनके निपटान हेतु योजना (अर्थात् ठोस अपशिष्ट हेतु सैनीटरी लैंडफिल)।	
पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण हेतु किए जाने वाले उपाय।	
परियोजना पर निवेश और अनुमानित लाभ।	
प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण संयंत्र में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा हेतु किए गए उपाय।	
प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सहित एकत्रण, परिवहन और शोधन के दौरान दुर्घटना के लिए कोई निवारक योजना हो तो उसके बारे में सक्षम प्राधिकारी (स्थानीय प्राधिकरण) या निर्धारित प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।	
दिनांक :	नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप II

[नियम (7)(3) देखें]

प्रचालनकर्ता को प्राधिकार जारी करने के लिए प्ररूप

फाइल सं. : _____

दिनांक : _____

सेवा में,

संदर्भ : आपका आवेदन सं. _____ दिनांक _____

_____ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करने के पश्चात _____ को जिनका प्रशासनिक कार्यालय _____ में है, इस प्राधिकार-पत्र के साथ संलग्न निबंधन और शर्तों (अनुपालनार्थ मानदंडों सहित) के अध्यक्षीन _____ पर निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित और प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

1. यह प्राधिकार _____ तक वैध होगा। वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात, प्राधिकार का नवीकरण कराना होगा।
2. _____ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किसी भी समय, समुचित कारणों से, प्राधिकार के अंतर्गत लागू किसी शर्त को रद्द किया जा सकता है और इसकी लिखित सूचना दी जाएगी।
3. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंध का उल्लंघन होने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दंडात्मक उपबंध लागू होंगे।

दिनांक :

स्थान :

(सदस्य सचिव)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/

प्रदूषण नियंत्रण समिति

प्ररुप III
[नियम 8(2) देखें]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली

वार्षिक रिपोर्ट का प्ररुप

- (i) शहर या नगर का नाम
- (ii) जनसंख्या
- (iii) स्थानीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी का नाम और पता
- दूरभाष सं. :
- फैक्स :
- ई-मेल आईडी :
- वेबसाइट :
- (iv) संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रभारी अथवा नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम.....
- 1. किसी भी प्रकार के निर्माण को गिराने से उत्पन्न अपशिष्ट सहित संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा और संघटन**
- (क) पूरे वर्ष के दौरान उत्पन्न निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की मेट्रिक टन में कुल मात्रा लीन अवधि और पीक अवधि में प्रतिदिन उत्पन्न अपशिष्ट से संबंधित कोई आंकड़े
- संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट (टीपीडी) का औसत उत्पादन प्रतिदिन एकत्रित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की कुल मात्रा
- नगर में स्थापित कोई प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण सुविधा सुविधा की स्थिति
- (ख) प्रसंस्कृत/पुनर्चक्रित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की कुल मात्रा (मेट्रिक टन में)
- गैर-ढांचागत कुल कंक्रीट :
- विनिर्मित बालू :
- पूर्व-मिश्रित कंक्रीट (आरएमसी) :
- पेविंग ब्लॉक्स :
- जीएसबी :
- अन्य, यदि कोई हो, तो कृपया दर्शाएं :

(ग) प्रसंस्करण किए बिना भराई द्वारा (अंतिम विकल्प) या निम्नस्थ क्षेत्रों में भराई द्वारा निपटाए गए निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की कुल मात्रा

प्रयोग में लाए गए भराई स्थलों की संख्या :

उपयोग में लाया गया क्षेत्र :

क्या मात्रा आकलन के लिए भारण सुविधा का प्रयोग किया गया? : हां नहीं

(घ) क्या अनुसूची III के अनुसार सेनेट्री (ठोस अपशिष्ट हेतु) में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रयोग में लाया गया? : हां नहीं

2. भंडारण सुविधाएं

(क) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के एकत्रण हेतु शामिल क्षेत्र या स्थल या भूखंड या समितियां

(ख) शामिल की गई बड़ी परियोजनाओं (सड़क परियोजनाओं सहित) की संख्या

(ग) क्या क्षेत्र या स्थल या भूखंड या समिति स्तर पर एकत्रण किया जाता है (यदि हां, तो क्या यह सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण या निजी अभिकरण या गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है) :

(घ) भंडारण बिन :

विशेष विवरण (आकार और परिमाण)	विद्यमान संख्या	भविष्य में प्रस्तावित
------------------------------------	--------------------	--------------------------

(i) डिब्बा या पात्र (क्षमता) :

(ii) अन्य, कृपया उल्लेख करें :

(ड.) क्या सभी भंडारण डिब्बों/एकत्रण स्थलों से कचरा : हां नहीं
रोज उठाया जाता है

(च) क्या भंडारण डिब्बों से निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट हाथों से या मशीनों द्वारा उठाया जाता है (कृपया सही का चिन्ह लगाएं) कृपया प्रयोग में लाए गए उपकरण तथा पद्धति का उल्लेख करें

हाथों से	मशीनों द्वारा	अन्य
----------	------------------	------

(कृपया उपकरण का उल्लेख करें)

3. परिवहन :
विद्यमान, वास्तविक रूप से
अपेक्षित/प्रस्तावित संख्या
.....

ट्रक :
ट्रक-हाइड्रॉलिक :
टैक्टर-ट्रेलर :
डम्पर-प्लेसर :
ट्राईसाइकिल :
रेफ्यूज-क्लेक्टर :
अन्य (कृपया उल्लेख करें) :

4. क्या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों में सुधार हेतु कोई प्रस्ताव किया गया है

5. क्या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रसंस्करण में पीपीपी को शामिल करने के लिए कोई प्रयास किया गया है : यदि हां, तो कौन सी प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकियां) प्रयोग में लाई जा रही है, जैसे कि :

प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी

उठाए गए कदम

(प्रसंस्करण की जाने वाली की मात्रा)

(i) शुष्क प्रसंस्करण :
(ii) नम प्रसंस्करण :
(iii) अन्य, यदि कोई हो, तो कृपया :
उल्लेख करें

6. निम्नलिखित के अप्राधिकृत कार्यों की जांच हेतु उपलब्ध प्रावधान कौन से हैं :

नदी तटों/नम निकायों पर अतिक्रमण :
निम्नस्थ क्षेत्रों की अप्राधिकृत भराई :
ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रण :
उद्योनों, पटरियों इत्यादि पर :

अतिक्रमण

7. कितनी मलिन बस्तियों में निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट पात्र सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:
8. क्या इन नियमों की गैर-अनुपालना के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई नगरपालिका न्यायधीश नियुक्त किए गए हैं : हां नहीं
(यदि हां, तो गत तीन वर्षों (वर्ष वार ब्योरा) के दौरान मामले पंजीकृत किए और निपटाए गए)

दिनांक :

नगरपालिका आयुक्त के हस्ताक्षर

प्ररुप IV

[नियम (8)(3) देखें]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली

वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली-110032

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम :
2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति का नाम और पता :
3. इन नियमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी नगरपालिका प्राधिकरणों की संख्या :
4. अनुसूची III के क्रियान्वयन के संबंध में नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण : कृपया अनुबंध-I के रूप में संलग्न करें
5. अनुसूची IV के क्रियान्वयन के संबंध में नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण : कृपया अनुबंध-II के रूप में संलग्न करें

तारीख :

अध्यक्ष या सदस्य सचिव

स्थान :

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/
प्रदूषण नियंत्रण समिति

प्ररूप V

[नियम 14 देखें]

दुर्घटना का प्रतिवेदन

1. दुर्घटना की तारीख और समय :
2. दुर्घटना के लिए कारण घटनाओं का अनुक्रम :
3. दुर्घटना में शामिल संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट का प्रकार :
4. यातायात, निकास प्रणाली और पर्यावरण पर दुर्घटनाओं के प्रभावों का आकलन :
5. किए गए आपातकालीन उपाय :
6. दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए उठाए गए कदम :
7. ऐसी किसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदम :
8. प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण स्थल पर कर्मकारों की नियमित मासिक स्वास्थ्य जांच की जाएगी :
9. प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सहित एकत्रण, परिवहन और शोधन के दौरान किसी दुर्घटना के बारे में सक्षम प्राधिकारी (स्थानीय प्राधिकारी) या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए :

तारीख :

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पदनाम

[फा.सं.18-6/2014-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव